

[2023] 10 एस सी आर 387:2023 आईएनएससी 606 ए

क.

विनोद कुमार और ओ. आर. एस. बनाम

जिला पंजीकृत एम. ए. यू. और ओ. आर. एस. (2022 की सिविल अपील संख्या 5107) जुलाई 07, 2023

[बी. आर. गवई और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956:एस. 3 एच-राशि का जमा और भुगतान-अनिवार्य अधिग्रहण-मुआवजे का विभाजन-सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित अपीलकर्ताओं की भूमि-विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी-एस. एल. ए. ओ. द्वारा भूमि मालिकों को देय मुआवजे का निर्धारण-अपने और अपीलकर्ताओं के बीच मुआवजे के विभाजन के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा विवाद-सक्षम प्राधिकारी, एस. एल. ए. ओ. ने विषय भूमि में पक्षों के शेयरों का निर्धारण किया और अपीलकर्ता उसी से संतुष्ट थे-हालाँकि, उत्तरदाताओं ने एस.3 जी (5)-जिला मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्थियों के पक्ष में अधिक शेयर मंजूर किए-अपीलार्थियों द्वारा लिखित आवेदन-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-की गई-की शुद्धता-आयोजित:जब मुआवजे के लिए निर्धारित राशि के विभाजन से संबंधित विवाद को हल करने की बात आती है, तो ऐसा केवल मूल अधिकार क्षेत्र का प्रधान नागरिक न्यायालय ही कर सकता है-प्रधान नागरिक न्यायालय का अर्थ है जिला न्यायाधीश का न्यायालय-विवाद सिविल न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकृति का होने के कारण कानून इस बात का प्रावधान करने के लिए कदम उठाता है कि इसे प्रधान नागरिक न्यायालय के निर्णय को संदर्भित किया जाए-इस प्रकार, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है-एस. एल. ए. ओ. एस. के उपखंड (4) के अनुसार मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान नागरिक न्यायालय को विवाद को संदर्भित करने के लिए।3 अधिनियम का एच।

ग

डी.

ई.

च

कानूनों की व्याख्या-व्याख्या का नियम-शाब्दिक नियम-समझाया गया।

जी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:1.1 इस मामले में ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ा है।यह त्रुटि में पड़ गया क्योंकि यह कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत को लागू करने में विफल रहा कि कानूनी प्रावधान का अर्थ लगाने के लिए,

एच.

387

388 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

निर्माण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम शाब्दिक निर्माण है।न्यायालय को शुरू में ही यह देखना होगा कि प्रावधान में क्या कहा गया है।यदि प्रावधान स्पष्ट है और प्रावधान से विधायी इरादा स्पष्ट है, तो न्यायालय को कानून के निर्माण के अन्य नियमों

की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। निर्माण के अन्य नियमों को तभी सहायता के लिए बुलाया जाता है जब विधायी इरादा स्पष्ट नहीं होता है। [पैरा 24] [402-बी-सी]

1.2. व्याख्या की प्रत्येक प्रणाली में एक कानून की व्याख्या का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत व्याख्या का शाब्दिक नियम है। व्याख्या के अन्य नियम, शरारत नियम/उद्देश्यपूर्ण निर्माण, आदि का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब किसी कानून के सादे शब्द अस्पष्ट हों या कोई बोधगम्य परिणाम न दें या यदि शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए तो कानून के उद्देश्य को ही रद्द कर दें। जहाँ किसी कानून के शब्द बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्ट हैं, वहाँ शाब्दिक नियम के अलावा व्याख्या के सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया जा सकता है। कानून में प्रयुक्त भाषा विधायी इरादे का निर्धारक कारक है। ऐसा माना जाता है कि विधायिका ने कोई गलती नहीं की है। अनुमान यह है कि इसका इरादा वही कहना था जो उसने कहा है। यह मानते हुए कि विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में कोई दोष या चूक है, न्यायालय इस कमी को ठीक या पूरा नहीं कर सकता है। [पैरा 25] [402-सी-एफ]

ग

डी.

ई.

1.3. मुआवजे के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण करने और राशि के विभाजन के बीच एक अच्छा अंतर है। विधायिका ने राशि के विभाजन के संबंध में उत्पन्न विवाद को निर्धारित करने के लिए मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान नागरिक न्यायालय को शक्तियाँ प्रदान करना उचित समझा है। एक कारण है कि विधायिका ने मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान दीवानी न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदान करने के लिए उचित क्यों सोचा है, जिसकी अधिकार क्षेत्र भूमि स्थित है। [पैरा 26] [402-एफ-जी]

च

1.4. मुआवजे के बंटवारे का सवाल कठिनाइयों से मुक्त नहीं है। मुआवजे को विभाजित करने में, न्यायालय को प्रत्येक दावेदार को उस ब्याज का मूल्य देना होता है जो उसने अनिवार्य अधिग्रहण से खो दिया है। इस प्रकार कहा गया है कि प्रस्ताव सरल लग सकता है, लेकिन इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग में मुआवजे ए को विभाजित करने में कई जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

जी.

एच.

389

विनोद कुमार और ओ. आर. एस. बनाम जिला पंजीकृत एम. ए. यू. और ओ. आर. एस.

सम्मानित किया गया। कठिनाई का अनुभव विभिन्न प्रकार के हितों, अधिकारों और भूमि के दावों की प्रकृति के कारण होता है, जिन्हें धन के संदर्भ में महत्व दिया जाना चाहिए। अनिवार्य अधिग्रहण के लिए दिया गया मुआवजा उन सभी हितों का मूल्य है जो समाप्त हो जाते हैं और मुआवजे को उसमें ब्याज रखने वाले व्यक्तियों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए और न्यायालय को मुआवजे को विभाजित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए ताकि सभी हितों का कुल मूल्य दिए गए मुआवजे की राशि के बराबर हो। लेकिन प्रतिस्पर्धी हितों के मूल्यांकन में, जो अपनी प्रकृति से अनिश्चित कारकों और अनिश्चित आंकड़ों पर निर्भर है, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। निर्विवाद रूप से, मुआवजे को विभाजित करने में न्यायालय काल्पनिक विचारों पर आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन खोए हुए संबंधित हितों के मूल्य का सटीक निर्धारण करने के लिए यथासंभव आगे बढ़ना चाहिए। न्यायालय को, प्रत्येक मामले में, उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों और मूल्य के सटीक निर्धारण की संभावना को ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन की उस विधि को अपनाना चाहिए जो उसके हकदार व्यक्तियों के बीच मुआवजे को समान रूप से वितरित करती है। [पैरा 27] [402-एच; 403-ए-डी]

ग

डी.

1.5. एकमात्र सामान्य सिद्धांत यह है कि अधिनियम **1956** की धारा **3** एच के उपखंड **(4)** के तहत विभाजन एक पुनर्मूल्यांकन नहीं है, बल्कि संबंधित हितों की प्रकृति और मात्रा के अनुसार अधिग्रहित भूमि में रुचि रखने वाले कई व्यक्तियों के बीच पहले से निर्धारित मूल्य का वितरण है। उन हितों के निर्धारण में, उनके सापेक्ष महत्व का निर्धारण और जिस तरीके से उन्होंने निर्धारित कुल मूल्य में योगदान दिया है, वे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और पक्षों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में तय किए जाने वाले प्रश्न हैं। प्रत्येक मामले में विभाजन के लिए वास्तविक नियम तैयार किया जाना चाहिए ताकि भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच कुल मूल्य या मुआवजे का न्यायसंगत और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा सके। [पैरा **28**] **[403-ई-एफ]** **1.6**। उक्त परिस्थितियों में, विधायिका ने मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान सिविल न्यायालय के अलावा किसी और को ऐसा कार्य सौंपना उचित नहीं समझा। [पैरा **29**] **[403-जी]**

ई.

च

जी.

1.7. यह निवेदन कि पक्षों के बीच विवाद विभाजन का नहीं है, बल्कि देने के संबंध में एक ही है

एच.

390 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

दीवानी मुकदमे में दीवानी अदालत द्वारा पारित आदेश के प्रभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। संभवतः यह तर्क दिया जाना चाहिए कि अधिग्रहित भूमि के शेयरों का निर्धारण दीवानी न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यदि निजी उत्तरदाता सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर भरोसा करना चाहते हैं, तो वे मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष ऐसा कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के पास राशि के बंटवारे के संबंध में कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं है। [पैरा **30**] **[403-एच; 404-ए-बी]**

1.8. यह नहीं समझा जा सकता है कि किस आधार पर उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की जांच करने और राशि के विभाजन के विवाद का फैसला करने में सक्षम है। जब मुआवजे के लिए निर्धारित राशि के विभाजन से संबंधित विवाद को हल करने की बात आती है, तो ऐसा केवल मूल अधिकार क्षेत्र का प्रधान दीवानी न्यायालय ही कर सकता है। प्रधान सिविल न्यायालय का अर्थ है जिला न्यायाधीश का न्यायालय। [अनुच्छेद **31** और **33**] **[404-ग; 409-ग]** **1.** यदि राशि या उसके किसी भाग के विभाजन के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह या उसका कोई हिस्सा देय है, तो सक्षम प्राधिकारी विवाद को मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान सिविल न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करेगा, जिसकी अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर भूमि स्थित है। सक्षम प्राधिकारी के पास सिविल न्यायालय की कुछ शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उक्त प्रकृति के विवाद की स्थिति में, धारा **3** एच की उप धारा **(3)** के संदर्भ में राय देने की सक्षम प्राधिकारी में निहित संक्षिप्त शक्ति, उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी। विवाद सिविल न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकृति का होने के कारण कि कानून मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान सिविल न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करने के लिए प्रावधान करने के लिए कदम उठाता है। राशि या उसके किसी भाग या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके लिए वह राशि या उसका कोई हिस्सा देय है, के विभाजन के संबंध में विवाद का निर्णय उस न्यायालय को करना होगा। [पैरा **34**] **[409-डी-एफ]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

1.10 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। मुआवजे की राशि के बंटवारे के संबंध में पक्षों के बीच विवाद को देखते हुए, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी अब विवाद को ए.

एच.

391

विनोद कुमार और ओ. आर. एस. बनाम जिला पंजीकृत एम. ए. यू. और ओ. आर. एस.

अधिनियम **1956** की धारा **3** एच के उपखंड **(4)** के अनुसार मूल अधिकार क्षेत्र का प्रधान दीवानी न्यायालय। [पैरा **35**]
[409-जी]

दोसीबाई नानाभाय जीजीभाय बनाम पी. एम. भरुचा,

(1956) 60 बॉम एलआर **1208**-स्वीकृत।

शारदा देवी बनाम बिहार राज्य **2003** एमएचएलजे ऑनलाइन (एस. सी.)

23 :ए. आई. आर. **2003** एस. सी. **942**-संदर्भित। निर्णीत विधि संदर्भ

ए. आई. आर **2003** एस. सी. **942**

संदर्भित किया गया है

पैरा **32**

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार:2022 की सिविल अपील No.5107।

ग

2020 के डब्ल्यू. सी. No.7310 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 28.02.2020 से।

गौरव अग्रवाल, शुभ्रांशु पाधी, आशीष यादव, सुश्री रिमझिम अग्रिहोत्री, सुश्री राजेशवारी शंकर, नीरोप सुकृति, जय निरुपम, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

डी.

शरण सिंह ठाकुर, ए. ए. जी., वी. के. शुक्ला, श्रीमती गरिमा प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता।, राजीव कुमार दुबे, दिव्यांशु सहाय, आशिवन मिश्रा, कमलेंद्र मिश्रा, अरविंद कुमार शुक्ला, सुश्री रीतू शर्मा, शांतनु शुक्ला, तुषार स्वामी, सर्वेश कुमार दुबे, निशित अग्रवाल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

यह अपील असफल मूल रिट याचिकाकर्ताओं के आग्रह पर है और इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2020 को 2020 के रिट-सी संख्या 7310 में पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट आवेदन को यह विचार रखते हुए खारिज कर दिया कि जिला मजिस्ट्रेट राष्ट्रीय

राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम 1956') की धारा 3 जी (5) के तहत विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (संक्षेप में, 'एस. एल. ए. ओ.') द्वारा पारित आदेश की वैधता और वैधता को देखने के लिए सक्षम है।

च

जी.

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

2. केंद्र सरकार ने अधिनियम 1956 की धारा 3 ए (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 23.01.2015 पर एक अधिसूचना जारी की।

एच.

392

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

क.

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 को चार लेन चौड़ा करने के उद्देश्य से जिला मऊ में स्थित कुछ भूखंडों का अधिग्रहण करना। उक्त अधिसूचना में गाँव अहिरानी बुजर्ग, जिला मऊ (उत्तर प्रदेश) की गॉट संख्या 158,160 और 161 वाली भूमि शामिल थी।

3. उपरोक्त संदर्भ में, अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के तहत एक और अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें घोषणा की गई थी कि वनों वाली भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा। ऐसी अधिसूचना जारी होने पर, भूमि केंद्र सरकार के पास निहित हो जाती है।

4. अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत पारित विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अधिग्रहित भूमि के लिए भूमि मालिकों (हमारे समक्ष पक्षों) को दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण किया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित पुरस्कार का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“हस्तांतरणीय भूमि के लिए आधार के रूप में निर्धारित स्टाम्प दर के रूप में रु. 4,50,00,000.00 की दर को मानते हुए, 3.269 एच. सी. मापने वाली भूमि का मुआवजा। गाँव अहिरानी बुजर्ग में स्थित जो अधिग्रहित किया जा रहा है, वह Rs.14,71,05,000.00 पर आता है, जिसकी दोगुनी राशि Rs.29,42,10,000.00 होती है और संरचना और पेड़ की क्षतिपूर्ति 8,01,582.00 पर आती है, जिसकी कुल दोगुनी राशि Rs.15,29,06,582.00 पर आती है। इस राशि पर 100% सॉलेटियम राशि की राशि Rs.30,00,11,582.00 निकलती है। 6 मार्च, 2015 की धारा 3 ए के अंतिम प्रकाशन से 12 प्रतिशत की दर से रु. 3,16,66,953.00 का अतिरिक्त मुआवजा देय है। इस प्रकार, कुल मुआवजे की राशि Rs.63,16,90,117.00 (63 करोड़ 16 लाख नब्बे हजार एक सौ सत्रह रुपये केवल) निकलती है, जिसके संबंध में मैं पुरस्कार की घोषणा करता हूँ। मुआवजे की कुल राशि के 10 प्रतिशत की दर से और कम भूमि राजस्व के पंजीकृत मूल्य के 100 गुना की दर से 2 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये के भूमि अधिग्रहण खर्च की वसूली करके। 7476.00 अधिग्रहण प्राधिकरण से, इसे निर्धारित खाता शीर्ष में जमा कराया जाए। तदनुसार, प्रविष्टि करने की कार्यवाही के लिए संबंधित तहसील को सूचना भेजी जाए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, गोरखपुर को पुरस्कार आदेश की एक प्रति बनाते समय, विचाराधीन पुरस्कार द्वारा कवर की गई पूरी राशि उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा जाए।”

डी.

ई.

च

जी.

एच.

393

विनोद कुमार और ओ. आर. एस. बनाम जिला पंजीकृत एम. ए. यू. और ओ. आर. एस. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

क.

5. आई. डी. 1 पर, उत्तरदाताओं ने यहाँ अपने और अपीलार्थियों के बीच मुआवजे के विभाजन के संबंध में विवाद उठाया। भूमि के तीन भागों के संबंध में, प्रत्यर्थियों ने गेट संख्या 160 और 161 में क्रमशः गेट संख्या 158 और मुआवजे के 1/3 हिस्से में मुआवजे के आधे हिस्से का दावा किया, जबकि इसमें अपीलकर्ताओं ने गेट संख्या 160 और 161 में क्रमशः गेट संख्या 158 और 13/16 वें हिस्से में मुआवजे में 5/8 वें हिस्से का दावा किया।

6. विधायी योजना अर्थात् अधिनियम 1956 की धारा 3 एच (3) के अनुसार, क्षतिपूर्ति में भूमि मालिकों के शेयरों का निर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थितियों में, सक्षम प्राधिकारी ने राजस्व अधिकारियों से एक रिपोर्ट मांगी। राजस्व अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.04.2019 के माध्यम से अपीलार्थियों और उत्तरदाताओं के हिस्से की सूचना दी। यह रिपोर्ट अपीलार्थियों के पक्ष में थी। रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“4. कि खसरा सं. 1353 की प्रति के आधार पर, गाटा सं. 233 का उल्लेख किया गया है जिसमें वर्तमान सं. 232/51 मिनट है। और गाटा संख्या 233 बी की वर्तमान संख्या 232 Min./183 है और वर्तमान संख्या 233 232 मिनट है। 519. इसी तरह गाटा संख्या 233 की वर्तमान संख्या 214/644 एकड़ है और भूमि के प्रकार का उल्लेख "बाग दीगर" के रूप में किया गया है। इसके अलावा, गाटा संख्या 208 की वर्तमान संख्या 227/1.440 एकड़ है जिसमें "बाग दीगर" का उल्लेख है, जो सही है।

डी.

ई.

5. सीताराम शाही के पुत्र महादेव शाही और गंगा के पुत्र भोलानाथ और बृजरनोहन के पुत्र सरयू, जाति कंडू के नाम फसल वर्ष 1348 के लिए खतौनी की प्रतिलिपि के खाता संख्या 46 में दर्ज हैं, अहिरानी बुजर्ग, जिसमें गाटा संख्या 232 एकड़ दर्ज है और सीता राम शाही के पुत्र महादेव और गंगा के पुत्र भोलानाथ और बृजमोहन के पुत्र सरयू, जाति कानू का नाम फसल वर्ष 1348 के लिए गाटा संख्या 128 के संबंध में दर्ज है। इसमें गाटा संख्या 232/0.284 एकड़ का उल्लेख है और खाता संख्या 92 में सीताराम शाही के पुत्र महादेव और बृज मोहन के पुत्र भोलानाथ, जाति कंडू के नाम दर्ज हैं। इसमें गाटा संख्या 232/0.539 और गाटा संख्या 233/0.644 दो गाटा का उल्लेख है जो 1.163 एकड़ को मापते हैं, जो सही है। फसल वर्ष 1348 के आधार पर, जिसका उल्लेख जैमन 12 के रूप में किया गया है। इसके आधार पर, गाटा संख्या 227/1.440 में 1/2 बराबर का हिस्सा, गाटा संख्या 232 मिनट में सालुम का बराबर का हिस्सा।/ 0.551, 232/ 0.183, 232/ 0.539 और 233/1.624 निर्धारित किया गया है,

च

जी.

एच.

394 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

हाशिया दोहरीघाट से गाजीपुर के दोनों ओर कौन सी सड़क स्थित है, जिसमें आवेदक को गाटा संख्या 232 और 233 में 1/3 हिस्सा मिला है और आवेदकों को गाटा संख्या 227/1.440 एकड़ और वर्तमान गाटा संख्या 158 में 1/2 हिस्सा मिला है, जिसके संबंध में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, आजमगढ़ द्वारा 31.05.1976 पर पारित आदेश के अनुसार, आवेदकों सुरेश और अन्य को गाटा संख्या 232,233 में 1/8 वां हिस्सा मिला है, यानी वर्तमान गाटा संख्या 158 में 0.583 और <ID4 वां हिस्सा गाटा संख्या 160 और 161 में मिला है।"

7. यहाँ उत्तरदाताओं ने उपरोक्त रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। दोनों पक्षों को अपने दस्तावेज दाखिल करने का अवसर दिया गया। पक्षकारों को सुनवाई का अवसर भी दिया गया और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी अर्थात् एस. एल. ए. ओ., माउ ने दिनांक 11.12.2019 के आदेश के अनुसार भूमि में विभिन्न पक्षों के शेयरों का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़े। यह आदेश अधिनियम 1956 की धारा 3 एच (3) के तहत पारित किया गया था। एस. एल. ए. ओ. ने सिविल कोर्ट के दिनांक 31.05.1976 के पहले के फैसले पर भरोसा किया। यह अपीलार्थियों का मामला है कि एस. एल. ए. ओ. ने पक्षों के बीच शेयरों का सही निर्धारण किया है। सक्षम प्राधिकारी/एस. एल. ए. ओ. द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

“उपरोक्त पक्षों को सुना गया है और फाइल में उपलब्ध साक्ष्यों का विधिवत अध्ययन किया गया है। फसल वर्ष 1348 के लिए ओब्जेक्टर द्वारा उनके समर्थन में साक्ष्य के रूप में उत्पादित खतौनी की जांच की गई है। फसल वर्ष 1423-1428 के लिए वर्तमान खतौनी, सी. एच. प्रपत्र-41 और 45 और प्रपत्र-11, पिछले खतौनी और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, आजमगढ़ के माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश पर विचार किया गया है। माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश की अदालत ने अपने पारित आदेश में परिवार की वंशावली का उल्लेख किया है, जिसका उल्लेख तहसीलदार घोसी ने सभी दस्तावेजों को देखते हुए किया है। इसमें उल्लिखित यह वंशावली और हिस्सा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की पुष्टि करता है। माननीय सिविल न्यायालय ने मुद्दा संख्या 1 तैयार करते समय मुकदमे में हिस्सेदारी के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बात की है “क्या वादी सह-मालिक है और सूची का के पेड़ों पर 1/4 तक के कब्जे में है और सूची का 1/8 वां और 1/12 वां सूचीबद्ध करता है जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है?” उपर्युक्त मुद्दे के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर निर्णय लेते समय, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, आजमगढ़ की माननीय अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है “उपरोक्त ए को ध्यान में रखते हुए।

ई.

च

जी.

एच.

395

विनोद कुमार और ओ. आर. एस. बनाम जिला पंजीकृत एम. ए. यू. और ओ. आर. एस. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

वंशावली और दस्तावेजों के अनुसार, भोला और सुकदेव के पिता गंगा का हिस्सा भूखंड संख्या 208 (नई संख्या 158) के उपवन में 1/4 वां था। “इसके अलावा, “ऊपर जो चर्चा की गई है, उसे देखते हुए, मैं इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुँचा कि भोला के पास 1 था; प्लॉट संख्या 208 (पुराना 227) में एस. टी. एच. शेयर, प्लॉट संख्या 212 और 233 (पुराना) के पेड़ों में एस. टी. एच. शेयर और दोहरीघाट-गाजीपुर रोड के पेड़ में एस. टी. एच. शेयर।” उपरोक्त न्यायिक आदेश में, भूमि और शेयरों के साथ पेड़ों के विभाजन का उल्लेख मिलता है, लेकिन सुविधा का संतुलन प्रतिवादी विनोद के पक्ष में पड़ रहा है। मेरे विचार में, संयुक्त कार्यकाल/सह-कार्यकाल में उपस्थित सभी लोगों का हिस्सा वंशावली के आधार पर तय किया जाना है। इसलिए, जब वंशावली का निर्णय एक सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा किया गया है, जिसके खिलाफ प्रतिवादियों ने कभी अपील नहीं की है, तो न्यायिक बहिष्कार भी उसी में किया जाता है। तदनुसार, श्री सुरेश गुप्ता का दावा उचित नहीं है। इससे पहले भी, वर्तमान मामले में तहसील घोसी से हिस्से के निर्धारण पर आपत्ति के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी, जिस पर दोनों पक्षों को

सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए, तहसीलदार घोसी द्वारा हिस्से का निर्धारण करते समय प्रस्तुत किया गया था। अदालत के समक्ष उपस्थित होकर भी दोनों पक्षों ने इस तथ्य के संबंध में सहमति व्यक्त की है कि सूरज, गंगा, बलदेव सालिक और राधाकृष्णन श्री बृजमोहन की संतानें थीं, जिसमें बलदेव की बिना संतान के मृत्यु हो गई थी और इस प्रकार, उन सभी का बृजमोहन की संपत्ति में एक चौथाई हिस्सा होगा। गंगा के दो बच्चे थे, भोलानाथ और सुक्तदेव। आवेदक सुरेश पराग के पुत्र श्री द्वारका के उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने नीलामी में भोलानाथ से संपत्ति खरीदी थी। तदनुसार, भोलानाथ केवल उसी राशि की नीलामी कर सकते हैं जिसका वे कानूनी रूप से मालिक हैं। इस तथ्य का भी उल्लेख करना उचित होगा कि अहिरानी बुजर्ग गाँव में समेकन की कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है, जिसके बाद ही वर्तमान रिकॉर्ड सीएच फॉर्म 11, 23, 41 और 45 तैयार किए गए हैं और उनके आधार पर खतौनी का गठन किया गया है। आवेदक सुरेश गुप्ता या उनके परिवार के किसी सदस्य ने न तो अदालत के समक्ष इस संबंध में कोई आपत्ति जताई है और न ही अदालत में कोई कार्यवाही शुरू करने का कोई सबूत पेश किया है, इसलिए, उन्हें होल्डिंग के समेकन अधिनियम की धारा 49 द्वारा वर्जित किया गया है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

396 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

आदेश

इस प्रकार, फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसरण में, वर्तमान खतौनी, तत्कालीन तहसीलदार, घोसी की रिपोर्ट और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश के माननीय न्यायालय के आदेश, फाइल पर प्रस्तुत किए गए अंश संतोषजनक और सही हैं। तदनुसार, मुआवजे के भुगतान के लिए फाइल तैयार करके, उसे प्रस्तुत किया जाए। आवश्यक कार्य करने के बाद, फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाता है।

एसडी/- अवैध

(अतुल वत्स) सक्षम प्राधिकारी/एस. एल. ए. ओ. माउ

ग

11.12.2019"

8. उत्तरदाताओं ने, ऊपर निर्दिष्ट एस. एल. ए. ओ. द्वारा पारित दिनांकित 11.12.2019 आदेश से असंतुष्ट होकर, अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) को लागू करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, मऊ के समक्ष याचिका दायर करके इसे चुनौती दी। यह अपीलार्थियों का मामला है कि जिला मजिस्ट्रेट, मऊ ने बिना किसी अधिकार क्षेत्र के और आगे अपीलार्थियों को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना मुआवजे के लिए उत्तरदाताओं के पक्ष में अधिक शेयर प्रदान करते हुए दिनांक 1 का आदेश पारित किया। जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा पारित आदेश का परिचालन भाग इस प्रकार है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

“आदेश

उपरोक्त जाँच के आधार पर, सक्षम अधिकारी/विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मऊ के दिनांकित 11.12.2019 आदेश को अलग कर दिया जाता है। फाइल को इस निर्देश के साथ सक्षम अधिकारी को वापस भेज दिया जाता है कि उपरोक्त पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की विधिवत जांच करते हुए, नीलामी में विरोध करने वालों के पूर्वजों द्वारा अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व को ध्यान में रखते हुए और खतेदार की अलग-अलग वंशावली के अनुसार, खतेदारों का हिस्सा निर्धारित किया जाए और गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तहसील से प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए।”

च

जी.

9. इसमें अपीलकर्ताओं ने, ऊपर निर्दिष्ट जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर, उसी ए को चुनौती दी।

एच.

397

विनोद कुमार और ओ. आर. एस. बनाम जिला पंजीकृत एम. ए. यू. और ओ. आर. एस. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

2020 का रिट-सी संख्या 7310 दाखिल करके इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त रिट आवेदन को उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अपने दिनांक 28.02.2020 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है:- प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“1. श्री यादवेंद्र प्रताप सिंह, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और उत्तरदाताओं के विद्वान स्थायी वकील को सुना। 2. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (इसके बाद “अधिनियम, 1956” के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (जी) (5) के तहत शक्ति के कथित प्रयोग में जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा पारित 16.01.2020 के आदेश के खिलाफ रिट याचिका का निर्देश दिया गया है, जिसमें उन्होंने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मऊ द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को पुनर्निर्धारण के लिए भेज दिया है।

ग

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निर्धारण पहले से ही किया जा चुका था, लेकिन इस बात पर विवाद नहीं कर सकते कि जिला मजिस्ट्रेट विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की जांच करने में सक्षम थे और वर्तमान रिट याचिका में विवादित कानून और व्यवस्था के अनुसार उचित निर्णय लेना अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। अन्यथा कोई त्रुटि आक्षेपित क्रम में नहीं दिखाई जा सकती थी।

डी.

4. लिखित याचिका में योग्यता का अभाव है। बर्खास्त कर दिया।”

ई.

10. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस न्यायालय के समक्ष आए। इस अदालत ने 31.08.2020 दिनांकित आदेश के माध्यम से नोटिस जारी किया और जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा दिनांकित 16.01.2020 द्वारा पारित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। बाद में, छुट्टी दे दी गई और अपील स्वीकार कर ली गई।

च

अपीलार्थियों के स्वयं के बारे में सुझाव

11. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल ने जोरदार ढंग से कहा कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिनांक 11.12.2019 के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को अधिनियम 1956 की धारा 3H (3) के तहत कहा जा सकता है। यदि प्रतिवादियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के संबंध में कोई शिकायत थी, तो उनके लिए कानूनी रूप से उपलब्ध उपाय सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करना था ताकि सक्षम प्राधिकारी मामले को दीवानी न्यायालय में भेज सके। विद्वान वकील के अनुसार, ऐसी प्रक्रिया अधिनियम 1956 की धारा 3 एच (4) के तहत निर्धारित की गई है।

जी.

एच.

398

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

12. विद्वान वकील ने आगे कहा कि जिला मजिस्ट्रेट, मऊ, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक मध्यस्थ हैं, के पास मुआवजे के विभाजन पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उसे केवल एक मध्यस्थ के रूप में अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत मुआवजे की मात्रा तय करने का अधिकार है। 13. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जिला मजिस्ट्रेट, मऊ के समक्ष चुनौती सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांकित 11.12.2019 आदेश के लिए थी जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांकित 16.01.2020 द्वारा पारित आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना कहा जा सकता है।

14. अंत में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अन्यथा भी जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा पारित विवादित आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना कहा जा सकता है क्योंकि अपीलार्थियों को कोई नोटिस या सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

ग

15. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जा सकती है और जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा दिनांकित 16.01.2020 द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाए और उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट आवेदन को अनुमति दी जाए।

डी.

स्वयं के बारे में प्रस्तुतियाँ नं. 1-जिला मैजिस्ट्रेट, एम. ए. यू. और जवाब संख्या। 2-प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण/विशेष भूमि अधिग्रहण कार्यालय, एम. ए. यू.

ई.

16. जिला मजिस्ट्रेट, मऊ (प्रतिवादी संख्या 1) और सक्षम प्राधिकरण/विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मऊ (प्रतिवादी संख्या 2) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. के. शुक्ला ने बहुत निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट आवेदन को अस्वीकार करने में त्रुटि की है। श्री शुक्ला ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट, मऊ अधिनियम 1956 की धारा 3 एच (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने की मांग करने वाले प्रतिवादियों के कहने पर दायर किसी भी याचिका पर विचार नहीं कर सकते थे। ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, श्री शुक्ला ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थियों के पक्ष में उचित राहत दी जाए।

च

जी.

जिम्मेदार व्यक्तियों के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ। 4, 6 और 16

17. प्रत्यर्थी संख्या 4,6 और 16 की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अरविंद कुमार शुक्ला ने कहा कि ए की बात न करने में कोई त्रुटि नहीं है।

एच.

399

विनोद कुमार और ओ. आर. एस. बनाम जिला पंजीकृत एम. ए. यू. और ओ. आर. एस. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने में कानून की कोई भी त्रुटि की गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवाद, वास्तव में, बंटवारे का नहीं है, बल्कि विषय भूमि में हिस्से के संबंध में है। ऐसी परिस्थितियों में, जिला मजिस्ट्रेट, मऊ के पास 1970 के दीवानी मुकदमा संख्या 63 में प्रधान दीवानी न्यायाधीश, आजमगढ़ द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश पर भरोसा करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश पर गौर करने का अधिकार क्षेत्र और क्षमता थी। ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं होने के कारण, उसे खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण

18. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की है।

ग

19. दोनों तरफ से प्रचार किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर ध्यान देने से पहले, हमें अधिनियम 1956 के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर करना चाहिए।

डी.

20. धारा 3 ए इस प्रकार है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“ 3 ए. भूमि आदि अधिग्रहण करने की शक्ति-(1) जहां केंद्रीय

सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके हिस्से के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन या संचालन के लिए किसी भी भूमि की आवश्यकता है, वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा कर सकती है।

ई.

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अधिसूचना में भूमि का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा।

च

(3) सक्षम प्राधिकारी अधिसूचना का सार दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएगा, जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा।”

21. धारा 3 सी आपत्तियों की सुनवाई का प्रावधान करती है। धारा 3 डी में अधिग्रहण की घोषणा का प्रावधान है। धारा 3 ई कब्जा करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 3 जी मुआवजे के रूप में देय राशि के निर्धारण के संबंध में है। धारा 3 जी इस प्रकार है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

“ 3G. मुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण।—

(1) जहाँ इस अधिनियम के तहत कोई भूमि अधिग्रहित की जाती है, वहाँ एक राशि का भुगतान किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निर्धारित की जाएगी।

एच.

400 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

(2) जहाँ इस अधिनियम के तहत किसी भी भूमि पर उपयोगकर्ता का अधिकार या अधिभोग की प्रकृति का कोई अधिकार अधिग्रहित किया जाता है, वहाँ मालिक और किसी अन्य व्यक्ति को एक राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसका उस भूमि में आनंद लेने का अधिकार इस तरह के अधिग्रहण के कारण किसी भी तरह से प्रभावित हुआ है, उस भूमि के लिए उप-धारा (1) के तहत निर्धारित राशि का दस प्रतिशत की गणना की गई राशि।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत राशि निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, सक्षम प्राधिकारी दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना देगा, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगी जिसमें अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों से दावे आमंत्रित किए जाएंगे।

ग

(4) ऐसी सूचना में भूमि का विवरण होगा और ऐसी भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को किसी समय और स्थान पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या किसी एजेंट द्वारा या धारा 3 सी की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा उपस्थित होना होगा और ऐसी भूमि में अपने-अपने हित की प्रकृति का उल्लेख करना होगा।

डी.

(5) यदि उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो किसी भी पक्ष के आवेदन पर राशि का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

ई.

(6) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधान इस अधिनियम के तहत प्रत्येक मध्यस्थता पर लागू होंगे।

च

(7) सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (1) या उप-धारा (5) के तहत राशि का निर्धारण करते समय, ध्यान में रखेगा-(ए) धारा 3 ए के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि का बाजार मूल्य; (बी) ऐसी भूमि को अन्य भूमि से अलग करने के कारण, भूमि का कब्जा लेने के समय इच्छुक व्यक्ति द्वारा की गई क्षति, यदि कोई हो;

जी.

एच.

401

विनोद कुमार और ओ. आर. एस. बनाम जिला पंजीकृत एम. ए. यू. और ओ. आर. एस. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

(ग) भूमि का कब्जा लेने के समय इच्छुक व्यक्ति को अधिग्रहण के कारण किसी भी तरह से उसकी अन्य अचल संपत्ति या उसकी कमाई को नुकसान पहुँचाने के कारण नुकसान, यदि कोई हो;

(घ) यदि भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, इच्छुक व्यक्ति को अपना निवास या व्यवसाय का स्थान बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उचित खर्च, यदि कोई हो, ऐसे परिवर्तन के लिए आकस्मिक है।"

(जोर दिया गया) 22। धारा 3 एच जमा और राशि के भुगतान के संबंध में है। हमारे उद्देश्य के लिए जो प्रासंगिक है वह धारा 3 एच का उपखंड (4) है। उपखंड (4) इस प्रकार है:- प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“ 3 एच. जमा और राशि का भुगतान।—

(4) यदि राशि या उसके किसी भाग के विभाजन के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह या उसका कोई हिस्सा देय है, तो सक्षम प्राधिकारी विवाद को मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख दीवानी न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करेगा, जिसकी अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर भूमि स्थित है।”

डी.

ई.

23. अधिनियम 1956 की योजना और ऊपर निर्दिष्ट वैधानिक प्रावधान यह बहुत स्पष्ट करते हैं कि एक बार अधिनियम 1956 के तहत किसी भी भूमि का अधिग्रहण हो जाने के बाद, सक्षम प्राधिकारी मुआवजे के रूप में राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। एक प्रक्रिया है जिसे अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत निर्धारित किया गया है। धारा 3 जी का उपखंड (5) यह स्पष्ट करता है कि यदि धारा 3 जी की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो राशि का निर्धारण मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन के बल पर नियुक्त किया जा सकता है। धारा 3 एच में प्रावधान है कि धारा 3 जी के तहत मुआवजे के लिए निर्धारित राशि केंद्र सरकार द्वारा नियमों के अनुसार जमा करनी होगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी राशि जमा करने के बाद ही भूमि का कब्जा लिया जा सकता है। धारा 3 एच का उपखंड (4) राशि के विभाजन के बारे में बात करता है। धारा 3 एच के उपखंड (4) की भाषा सरल और सरल है। इसमें प्रावधान है कि यदि राशि या उसके किसी हिस्से के विभाजन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है,

च

जी.

एच.

402

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

सक्षम प्राधिकारी विवाद को मूल अधिकारिता के प्रधान सिविल न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करने के लिए बाध्य है, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर भूमि स्थित है।

24. ऐसा लगता है कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने अधिनियम 1956 के प्रावधानों को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ा है। यह त्रुटि में पड़ गया क्योंकि यह कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत को लागू करने में विफल रहा कि एक कानूनी प्रावधान का अर्थ लगाने के लिए, निर्माण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम शाब्दिक निर्माण है। न्यायालय को शुरू में ही यह देखना होगा कि प्रावधान में क्या कहा गया है। यदि प्रावधान स्पष्ट है और प्रावधान से विधायी इरादा स्पष्ट है, तो न्यायालय को कानून के निर्माण के अन्य नियमों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। निर्माण के अन्य नियमों को तभी सहायता के लिए बुलाया जाता है जब विधायी इरादा स्पष्ट नहीं होता है।

ग

25. उपरोक्त संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि व्याख्या की प्रत्येक प्रणाली में एक कानून की व्याख्या का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत व्याख्या का शाब्दिक नियम है। व्याख्या के अन्य नियम, उदाहरण के लिए, शरारत नियम/उद्देश्यपूर्ण निर्माण, आदि का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब किसी कानून के सादे शब्द अस्पष्ट हों या कोई बोधगम्य परिणाम न दें या यदि शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए तो कानून के उद्देश्य को ही रद्द कर दें। जहाँ किसी कानून के शब्द बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्ट हैं, वहाँ शाब्दिक नियम के अलावा व्याख्या के सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया जा सकता है। कानून में प्रयुक्त भाषा विधायी इरादे का निर्धारक कारक है। ऐसा माना जाता है कि विधायिका ने कोई गलती नहीं की है। अनुमान यह है कि इसका इरादा वही कहना था जो उसने कहा है। यह मानते हुए कि विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में कोई दोष या चूक है, न्यायालय इस कमी को ठीक या पूरा नहीं कर सकता है।

डी.

ई.

26. मुआवजे के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण करने और राशि के विभाजन के बीच एक अच्छा अंतर है। विधायिका ने राशि के विभाजन के संबंध में उत्पन्न विवाद को निर्धारित करने के लिए मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान नागरिक न्यायालय को शक्तियाँ प्रदान करना उचित समझा है। एक कारण है कि विधायिका ने मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान दीवानी न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदान करने के लिए उचित क्यों सोचा है, जिसकी अधिकार क्षेत्र भूमि स्थित है। हम आगे इसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।

च

जी.

27. मुआवजे के बंटवारे का सवाल कठिनाइयों से मुक्त नहीं है। मुआवजे को विभाजित करने में, न्यायालय को प्रत्येक दावेदार को उस ब्याज का मूल्य देना होता है जो उसने अनिवार्य ए द्वारा खो दिया है।

एच.

403

विनोद कुमार और ओ. आर. एस. बनाम जिला पंजीकृत एम. ए. यू. और ओ. आर. एस. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

अधिग्रहण। इस प्रकार कहा गया है कि प्रस्ताव सरल लग सकता है, लेकिन इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग में दिए गए मुआवजे को विभाजित करने में कई जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कठिनाई का अनुभव विभिन्न प्रकार के हितों, अधिकारों और भूमि के दावों की प्रकृति के कारण होता है जिन्हें धन के संदर्भ में महत्व दिया जाना चाहिए। अनिवार्य अधिग्रहण के लिए दिया गया मुआवजा उन सभी हितों का मूल्य है जो समाप्त हो जाते हैं और मुआवजे को उसमें ब्याज रखने वाले व्यक्तियों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए और न्यायालय को मुआवजे को विभाजित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए ताकि सभी हितों का कुल मूल्य दिए गए मुआवजे की राशि के बराबर हो। लेकिन प्रतिस्पर्धी हितों के मूल्यांकन में, जो अपनी प्रकृति से अनिश्चित कारकों और अनिश्चित आंकड़ों पर निर्भर है, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। निर्विवाद रूप से, मुआवजे को विभाजित करने में न्यायालय काल्पनिक विचारों पर आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन खोए हुए संबंधित हितों के मूल्य का सटीक निर्धारण करने के लिए यथासंभव आगे बढ़ना चाहिए। न्यायालय को, प्रत्येक मामले में, उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों और मूल्य के सटीक निर्धारण की संभावना को ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन की उस विधि को अपनाना चाहिए जो उसके हकदार व्यक्तियों के बीच मुआवजे को समान रूप से वितरित करती है। [देखिए: दोसीबाई]

ग

डी.

नानाभॉय जीजीभॉय बनाम पी. एम. भरुचा, (1956) 60 बम एल. आर. 1208]

28. इस प्रकार, एकमात्र सामान्य सिद्धांत यह कहा जा सकता है कि अधिनियम 1956 की धारा 3 एच के उपखंड (4) के तहत विभाजन एक पुनर्मूल्यांकन नहीं है, बल्कि संबंधित हितों की प्रकृति और मात्रा के अनुसार अधिग्रहित भूमि में रुचि रखने वाले कई व्यक्तियों के बीच पहले से निर्धारित मूल्य का वितरण है। उन हितों के निर्धारण में, उनके सापेक्ष महत्व का निर्धारण और जिस तरीके से उन्होंने निर्धारित कुल मूल्य में योगदान दिया है, वे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और पक्षों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में तय किए जाने वाले प्रश्न हैं। प्रत्येक मामले में विभाजन के लिए वास्तविक नियम तैयार किया जाना चाहिए ताकि भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच कुल मूल्य या मुआवजे का न्यायसंगत और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

ई.

च

29. ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में, विधायिका ने मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान सिविल न्यायालय के अलावा किसी और को ऐसा कार्य सौंपना उचित नहीं समझा।

जी.

30. हम प्रत्यर्थी संख्या 4, 6 और 16 की ओर से प्रचार किए गए प्रस्तुतिकरण से प्रभावित नहीं हैं कि पक्षों के बीच विवाद

एच.

404

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

यह विभाजन में से एक नहीं है, लेकिन यह 1970 के दीवानी मुकदमा संख्या 63 में दीवानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश को प्रभावी बनाने के संबंध में है। संभवतः यह तर्क दिया जाना चाहिए कि अधिग्रहित भूमि में शेयरों का निर्धारण ऊपर निर्दिष्ट दीवानी न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यदि निजी उत्तरदाता सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर भरोसा करना चाहते हैं, तो वे मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष ऐसा कर सकते हैं। हमारा मानना है कि जिला मजिस्ट्रेट, मऊ के पास राशि के विभाजन के संबंध में कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं है।

31. हम यह समझने में विफल हैं कि किस आधार पर उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की जांच करने और राशि के विभाजन के विवाद का फैसला करने में सक्षम है।

ग

32. शारदा देवी बनाम बिहार राज्य के निर्णय में,

2003 एम. एच. एल. जे. ऑनलाइन (एस. सी.) 23 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 942, इस न्यायालय के पास भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 30 और 31 के जवाब के दायरे और दायरे पर विचार करने का अवसर था। इन प्रावधानों का विश्लेषण और व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

“23. अधिनियम की धारा 18 और धारा 30 में संदर्भित करने के लिए कलेक्टर की शक्ति पर विचार करने वाले दो प्रावधानों के तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है। धारा 18 के तहत संदर्भ का विषय निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के बारे में विवाद हो सकता है: (i) भूमि के मापन के बारे में, (ii) मुआवजे की राशि या मात्रा के बारे में, (iii) उन व्यक्तियों के बारे में जिन्हें मुआवजा देय है, (iv) इच्छुक व्यक्तियों के बीच मुआवजे के विभाजन के बारे में। धारा 30 के तहत विवाद का विषय यह

हो सकता है: (i) मुआवजे की राशि या उसके किसी भाग का विभाजन, (ii) वे व्यक्ति जिन्हें मुआवजे की राशि या उसका कोई हिस्सा देय है। यद्यपि धारा 18 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'मुआवजे की राशि' है जबकि धारा 30 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'मुआवजे की राशि या उसका कोई हिस्सा' है, विधायी मसौदे में यह अंतर महत्वहीन और महत्वहीन है और मुआवजे के हिस्से के हक या विभाजन के बारे में विवाद भी अधिनियम की धारा 18 द्वारा इस सिद्धांत पर शामिल किया जाएगा कि संपूर्ण में एक हिस्सा भी शामिल है। अतः ए.

ई.

च

जी.

एच.

405

विनोद कुमार और ओ. आर. एस. बनाम जिला पंजीकृत एम. ए. यू. और ओ. आर. एस. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

पहले ब्लश पर, ऐसा लगता है कि धारा 30 आंशिक रूप से धारा 18 को ओवरलैप करती है; लेकिन जैसा कि इसके बाद जल्द ही देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। 24. डॉ. जी. एच. ग्रांट बनाम बिहार राज्य (ऊपर) इस न्यायालय का तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है जिसमें कलेक्टर को निर्देश देने की शक्ति के संदर्भ में अधिनियम की योजना न्यायालय के विचार के लिए आई थी। 2 के बहुमत से तीन न्यायाधीशों की पीठ: 1 निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया:

(i) अधिनियम में दो प्रावधान हैं जिनके तहत कलेक्टर न्यायालय को निर्देश दे सकता है, अर्थात् धारा 18 और धारा 30। दोनों धाराओं के तहत शक्तियां अलग-अलग हैं और आकस्मिकताओं में लागू की जा सकती हैं जो ओवरलैप नहीं होती हैं। पुरस्कार के उस भाग में दिखाया गया व्यक्ति जो मुआवजे के विभाजन से संबंधित है, जो या तो व्यक्तिगत रूप से या एक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित है या जिस पर धारा 12 (2) के तहत नोटिस जारी किया गया है, उसे, यदि वह पुरस्कार स्वीकार नहीं करता है, तो कलेक्टर को आवेदन करना चाहिए कि वह धारा 18 के तहत निर्धारित समय के भीतर मामले को अदालत में भेज दे। लेकिन एक व्यक्ति जो कलेक्टर के समक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ है, यदि उसे दाखिल करने की सूचना नहीं दी गई है, तो वह विभाजन के बारे में या उन व्यक्तियों के बारे में विवाद उठा सकता है जिन्हें यह देय है और मुआवजे के अपने अधिकार के निर्धारण के लिए धारा 30 के तहत संदर्भ के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है, जो पुरस्कार से पहले मौजूद हो सकता है, या जो पुरस्कार के बाद से उस पर हस्तांतरित हो सकता है। धारा 30 के तहत किसी संदर्भ के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

ग

डी.

ई.

च

((ii) यह धारा 30 के तहत एक संदर्भ बनाने की शक्ति के प्रयोग के बारे में भविष्यवाणी नहीं की गई है कि कलेक्टर ने अपने पुरस्कार द्वारा मुआवजे की राशि को विभाजित नहीं किया है। (iii) धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा दिया गया पुरस्कार मुआवजे के अधिकार का स्रोत नहीं है। एक पुरस्कार सख्ती से केवल अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को कहता है; रुचि रखने वाला व्यक्ति इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और सरकार धारा 48 के तहत अधिग्रहण को वापस भी ले सकती है। यह केवल तभी होता है जब भूमि का कब्जा ले लिया गया हो।

जी.

एच.

सरकार ने धारा 16 के तहत कहा कि भूमि के मालिक का अधिकार समाप्त हो गया है। इसलिए अपीलार्थी का यह तर्क कि मुआवजे का अधिकार केवल पुरस्कार की तारीख से प्राप्त होता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(iv) पुरस्कार के तहत हकदार व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान करने के लिए सरकार के दायित्व का मतलब यह नहीं है कि केवल वे व्यक्ति जिन्हें पुरस्कार के तहत मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, वे धारा 30 के तहत विवाद उठा सकते हैं। धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा विभाजन की योजना केवल कलेक्टर और इच्छुक व्यक्तियों के बीच निर्णायक होती है, न कि इच्छुक व्यक्तियों के बीच। पुरस्कार में घोषित व्यक्तियों को धारा 31 के तहत मुआवजे का भुगतान राज्य को मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व का निर्वहन करता है, जिससे दावेदार को धारा 30 के तहत या एक अलग मुकदमे द्वारा अपने अधिकार का विरोध करने के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।

ग

डी.

(v) बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए देखी गई भूमि पर अपीलकर्ता का अधिकार राज्य में निहित हो गया और इसलिए अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का अधिकार राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके बाद राज्य सरकार और अपीलार्थी के बीच इस बात को लेकर विवाद पैदा हो गया कि "किस व्यक्ति को" मुआवजा देय था।

ई.

राज्य को कलेक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से पहले मौजूद शीर्षक के तहत भूमि के लिए देय मुआवजे का कोई अधिकार नहीं था और धारा 18 के अर्थ के भीतर रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में उसके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया जा सकता था। लेकिन क्षतिपूर्ति राशि पर उनके परस्पर विरोधी दावों के बारे में अपीलार्थी और राज्य के बीच विवाद स्पष्ट रूप से एक विवाद था जिसे अधिनियम की धारा 30 के तहत न्यायालय को भेजा जा सकता था। धारा 30 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस व्यक्ति द्वारा उठाए गए विवाद के न्यायालय के संदर्भ को बाहर करता है, जिस पर भूमि के मालिक का अधिकार अधिनिर्णय के बाद से हस्तांतरित किया गया है। 30. अधिनियम की योजना से पता चलता है कि धारा 18 के तहत संदर्भ का उपाय केवल 'इच्छुक व्यक्ति' के लिए उपलब्ध होना चाहिए। एक व्यक्ति जिसे या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है या जिसे धारा 12 (2) के तहत नोटिस दिया जाता है, वह बाध्य है, बशर्ते कि

च

जी.

एच.

407

विनोद कुमार और ओ. आर. एस. बनाम जिला पंजीकृत एम. ए. यू. और ओ. आर. एस. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

न्यायालय को निर्देश देने के लिए धारा 18 (2) के तहत निर्धारित समय के भीतर कलेक्टर को आवेदन करने के लिए परीक्षण को निर्दिष्ट करना। जिस शीर्षक के आधार पर यू/एस 18 के लिए संदर्भ मांगा जाएगा, वह स्पष्ट रूप से पुरस्कार की तारीख के संदर्भ में एक पूर्व-मौजूदा शीर्षक होगा। धारा 29 भी ऐसी ही है, जो 'इच्छुक व्यक्तियों' की बात करती है। अधिनियम की धारा 12 (1) द्वारा बताए गए अधिनिर्णय को अंतिम रूप एक ओर कलेक्टर और दूसरी ओर 'इच्छुक व्यक्तियों' के बीच है और (i) वास्तविक क्षेत्र, यानी भूमि का माप, (ii) भूमि का मूल्य, यानी मुआवजे की मात्रा, और (iii) 'इच्छुक व्यक्तियों' के बीच मुआवजे का विभाजन से संबंधित मुद्दों को जोड़ता है। 'इच्छुक व्यक्ति' इस तथ्य की परवाह किए बिना पुरस्कार के लिए बाध्य होंगे कि वे क्रमशः कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए हैं या नहीं। धारा 29 द्वारा बताए गए पुरस्कार की अंतिमता 'इच्छुक व्यक्तियों' के बीच है और यह विभाजन की शुद्धता के मुद्दे तक सीमित है। धारा 30 इसके संचालन में केवल 'इच्छुक व्यक्तियों' तक ही सीमित नहीं

है। इसलिए, यह 'इच्छुक व्यक्तियों' द्वारा लागू किए जाने के लिए उपलब्ध होगा यदि वे न तो कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही में उपस्थित थे और न ही उनका प्रतिनिधित्व किया गया था, न ही अधिनियम की धारा 12 (2) के तहत नोटिस दिया गया था या जब वे दावा करते हैं। 'इच्छुक व्यक्ति' की परिभाषा 'मुआवजे में ब्याज' की बात करती है। पुरस्कार के बाद अस्तित्व में आने वाला ब्याज मुआवजे के दावे को जन्म देता है जो पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है। ऐसा व्यक्ति धारा 30 का भी सहारा ले सकता है। किसी भी मामले में, वह विवाद जिसके लिए धारा 30 का उपयोग किया जा सकता है, केवल (i) मुआवजे की राशि या उसके किसी हिस्से के विभाजन के रूप में, या (ii) उन व्यक्तियों के रूप में सीमित रहेगा जिन्हें मुआवजे की राशि (पहले से निर्धारित) या उसका कोई हिस्सा देय है। पूर्व-विद्यमान अधिकार के आधार पर दावा करने वाला राज्य 'इच्छुक व्यक्ति' नहीं होगा, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है और अपने अधिकार के पूर्व-विद्यमान होने के कारण, ऐसे मामले में, राज्य अपने कथित पूर्व-विद्यमान अधिकार के निर्धारण के लिए धारा 18 या धारा 30 को लागू करने का हकदार नहीं होगा। एक अर्जित या हस्तांतरित पद पुरस्कार का निर्धारण धारा 30 के तहत एक संदर्भ में किया जा सकता है जो इस पर निर्भर करता है -

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

408 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

सीमा के रूप में किसी भी बाधा के बिना अनुग्रह दिखाने के लिए कलेक्टर का विवेकाधिकार। वैकल्पिक रूप से, इस तरह के अधिकार को कलेक्टर द्वारा किसी भी स्वतंत्र कानूनी कार्यवाही में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ा जा सकता है। यह दृष्टिकोण न्यायसंगत, ठोस और तार्किक है क्योंकि शीर्षक के बाद के पुरस्कार का पुरस्कार की तारीख तक प्रचार नहीं किया जा सकता था और धारा 30 तक पहुंच से इनकार करके भी इसे उपचार के बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। इस कोण से देखने पर, धारा 18 और 30 ओवरलैप नहीं होंगी और उनमें एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए क्षेत्र होंगे।

37. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते समय कलेक्टर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वास्तव में, वह राज्य की ओर से कार्यवाही का संचालन करता है। कलेक्टर का पुरस्कार मुआवजे के अधिकार का स्रोत नहीं है; यह पूर्व-विद्यमान अधिकार है जिसे कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त है और आपत्तियों, यदि कोई हो, का निर्धारण करने में आए निष्कर्षों से निर्देशित होता है, तो कलेक्टर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त मालिक को उपयुक्त सरकार के प्रस्ताव के रूप में रखे जाने वाले मुआवजे की राशि की मात्रा निर्धारित करता है। प्रस्तावकर्ता प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि वह प्रस्ताव स्वीकार करता है और सरकार भूमि पर कब्जा कर लेती है, तो प्रस्तावक का अधिकार समाप्त हो जाता है और सभी बाधाओं से पूरी तरह से सरकार में निहित हो जाता है। धारा 11 के तहत पुरस्कार देने और अधिनियम की धारा 18 या 30 के तहत निर्देश देने की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है। विवादों को निर्धारित करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार भी वैधानिक है और धारा 17 या 30 द्वारा बनाई गई सीमाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसके तहत न्यायालय को निर्देश दिया गया है। इस शक्ति का प्रयोग उस हद तक किया जाना चाहिए जिस हद तक इसे कानून द्वारा प्रदान किया गया है और पहले से मौजूद शर्तों की उपलब्धता पर जिसकी उपलब्धता पर और केवल किस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

38. कलेक्टर द्वारा दिया गया पुरस्कार अंतिम और निर्णायक होता है जैसा कि कलेक्टर और 'इच्छुक व्यक्तियों' के बीच होता है, चाहे वे दो मुद्दों पर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए हों या नहीं। ((i) वास्तविक क्षेत्र के बारे में, अर्थात् अधिग्रहित भूमि की माप के बारे में, (ii) भूमि के मूल्य के बारे में, अर्थात् मुआवजे की राशि, और (iii) कलेक्टर और ए के बीच फिर से 'इच्छुक व्यक्तियों' के बीच मुआवजे के विभाजन के बारे में।

जी.

एच.

409

विनोद कुमार और ओ. आर. एस. बनाम जिला पंजीकृत एम. ए. यू. और ओ. आर. एस. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

'इच्छुक व्यक्ति' और न कि 'इच्छुक व्यक्तियों' के बीच। यू/एस 18 के तहत संदर्भ मांगे जाने की स्थिति में, इन मुद्दों पर कलेक्टर का पुरस्कार; यदि दीवानी न्यायालय द्वारा भिन्न किया जाता है, तो उस सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा। अधिनियम की योजना इस मुद्दे पर कलेक्टर के पुरस्कार के साथ एक समान अंतिमता नहीं जोड़ती है कि जिस व्यक्ति को मुआवजा देय है; कलेक्टर द्वारा पुरस्कार के बावजूद और संदर्भ लेने में विफल रहने पर भी, इस तरह के मुद्दे को किसी भी सक्षम मंच द्वारा निर्णय लेने के लिए उपलब्ध छोड़ दिया गया है।"

33. हमारा विचार है कि जब मुआवजे के लिए निर्धारित राशि के विभाजन से संबंधित विवाद को हल करने की बात आती है, तो ऐसा केवल मूल अधिकार क्षेत्र का प्रधान दीवानी न्यायालय ही कर सकता है। प्रधान सिविल न्यायालय का अर्थ है जिला न्यायाधीश का न्यायालय।

ग

34. हमारा अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार है:- यदि राशि या उसके किसी भाग के विभाजन के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह या उसका कोई हिस्सा देय है, तो सक्षम प्राधिकारी विवाद को मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान दीवानी न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करेगा, जिसकी अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर भूमि स्थित है। सक्षम प्राधिकारी के पास सिविल न्यायालय की कुछ शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उपरोक्त प्रकृति के विवाद की स्थिति में, धारा 3 एच की उप-धारा (3) के संदर्भ में राय देने की सक्षम प्राधिकारी को निहित संक्षिप्त शक्ति, उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी। विवाद सिविल न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकृति का होने के कारण कि कानून मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान सिविल न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करने के लिए प्रावधान करने के लिए कदम उठाता है। राशि या उसके किसी भाग या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके लिए वह राशि या उसका कोई हिस्सा देय है, के विभाजन के संबंध में विवाद का निर्णय उस न्यायालय को करना होगा।

डी.

ई.

च

35. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थिति में, जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा दिनांकित 16.01.2020 द्वारा पारित आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। 2020 का रिट आवेदन संख्या 7310 स्वीकृत है। मुआवजे की राशि के बंटवारे के संबंध में पक्षों के बीच विवाद को देखते हुए, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी अब अधिनियम 1956 की धारा 3 एच के उपखंड (4) के अनुसार मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान दीवानी न्यायालय को विवाद भेजेगा।

जी.

36. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

एच.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

37. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

38. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो उसी के अनुसार निपटाया जाता है।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.